रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3621] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 11, 2018/भाद्र 20, 1940
No. 3621] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2018/BHADRA 20, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

का.आ. 4775(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य 7506.22 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भुज, अंजर और भचाऊ और रपर तालुका/तहसील में स्थित है।

और, ग्रेट रन आफ कच्छ (जीआरके) भारत-पाक पर कच्छ जिले का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र है। अत्यधिक लवण रेगिस्तान पहाड़ी क्षेत्र के साथ प्रायः समतल है जो 'बेय्टस' के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्षेत्र की वनस्पति और जीवजन्तुओं की विविधता है। रन्न एक अद्वितीय लवण-क्रस्टेड बंजरभूमि है और हाल के समय की अवतारण भूमि है। राजस्थान क्षेत्र से बहने वाली कई छोटी, मौसमी धाराओं से भी इसमें बहुत अधिक मात्रा में मलवा उत्सर्जन होता है, जिसने इस शुष्क क्षेत्र की दिशा पूर्व और उत्तर-पूर्व (गज़ेटियर, 1965) की तरफ हो गई है। अपरिष्कृत तलछट अन्तर्गम चैनलों के ऊपर जमा होते है, जबकि परिष्कृत तलछट आगे बहकर बाढ़ वाले क्षेत्रों में फैल गए और मिट्टी के खंडों के रूप में जमा हो गए। इस प्रकार, रन्न की मिट्टी के खंड धीरे-धीरे वर्ष

बाद वर्ष में बनते गए। शुष्क अवधि के दौरान, कुछ बारहमासी नम क्षेत्रों को छोड़कर, पूरे क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से अलग-अलग डिग्री के लिए नमक जमने के लिए आवृत किया जाता है। रन्न सतही क्षेत्र के ऊपर केवल कुछ मीटर की दूरी पर कुछ विशेष द्वीप है जिन्हें 'बेय्टस' कहा जाता है। बेय्टस को कम वनस्पति के माध्यम से निचले मैदानों से आसानी से पहचाना जाता है वे बाद में इसकी कमी को पूरा सके। पारिस्थितिकी, जीवजन्तु, वनस्पति और भू-रूपात्मक महत्व को पहचानते हुए, और वन्यजीव और उनके पर्यावासों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के उद्देश्य से, गुजरात सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. जीएसएबीएन-41-85-डब्लूएलपी-1386-207-वी-2, दिनांक 28 फरवरी 1986 को कच्छ जिले में 7506.22 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र को "कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य" के रूप में घोषित किया गया था। यह अक्षांश 23° 25' और 24°30' उ और देशांतर 69 ° 53' और 70 °55' पू के बीच स्थित है। जीआरके समुद्री मान के स्तर से 15 मीटर की औसत ऊंचाई निचले क्षेत्रों में एक वास्तविक लवणीय रेगिस्तान है। अभयारण्य में कालादूंगर सबसे उच्च बिंदु (438 मीटर) है। क्षेत्र के अंतर्गत कच्छ जिले के खंडों में भुज, रपर, अंजर और भचाऊ के ग्राम आते हैं। अभयारण्य के कुल क्षेत्रफल में से 109.00 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, 1313.07 वर्ग किलोमीटर राजस्व बंजर भूमि है जबकि शेष क्षेत्र आर्द्र भूमि है।

और, जीआरके के ठीक बीच में, थोड़ी उठी हुई भूमि है जहां बड़ी संख्या में फ्लेमिंगोस मिट्टी के घोंसले बनाकर और प्रजनन करते हैं। यह क्षेत्र **"हूनज्बेय्ट"** एवं **"फ्लेमिंगो शहर"** के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को विविधता में बहुत समृद्ध नहीं माना जाता है, लेकिन यह भव्य "पारिस्थितिकी प्रतिभास" और ग्रेटर फ्लेमिंगोस के सबसे बड़े समूह को आश्रय प्रदान करता है। अभयारण्य की प्रबंधन योजना के अनुसार इस क्षेत्र को मुख्य रूप से अवैध शिकार, अवैध कटाई, अतिक्रमण और अवैध क्रियाकलापों से खतरा है। इसलिए, अभयारण्य के आस-पास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की घोषणा के माध्यम से नियंत्रण की आवश्यकता है। इससे अंततः मनुष्य पशु संघर्ष में कमी आयेगी और भविष्य में स्थानीय जनसंख्या को फायदा होगा। इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में घोषित करने से, हम जंगली जानवरों और इनके पर्यावासों की बहाली कर सकते हैं।

और, अभयारण्य से अभिलिखित महत्त्वपूर्ण वनस्पतियां रण भिंडी, (*एबेलमोस्चुसमनीहॉट*), गुंजा (*एब्रुसप्रैक्ट्रोरियस*), खापत, दब्लीयार (*अबुटिलोन इंडिकम*), भोनीखांस्की (*अबुटिलोन थियोफ्रास्टीमेडिक*), ऑस्ट्रेलियाई बावल (*अकाकिया ऑरिकुलिफॉर्मिस*), तलबावरी (*अकाकिया जैकक्मोन्टी*), रुंचलोडाड्रो (*अकालीफैसिलियाफोल्स्कि.*), दादरी (*अकालीफेनडिका*), अघडो (*अचिरांथेससपेरावार. असपेरा एल.*), अरदुसी (*अधाटोडैज़ीलैनिका (एल.) नीस*), गोरखगैंजो (*एवरपेरिका* (*बर्मा.एफ.*), रंबन, केटाकी (*एग्वेव अमरिकाना एल.*), मोटो अर्डुसो (*एइलंथस एक्सेलस राक्सब.*), अंकोल, अंकोली (*अलांगिमसालविफोलियम*), शिरीष (*अलबिज़िआमारा बोईवीन.*), ससालोजैड (*अलबिजियोडोराटिसिमा*), डोंगरी (अलियम सीईपीए), गिंगवार (*अलोए बारबाडेंसिस मिल.*) समेरवो (*अलायसिकारपुस्टेटरागोनोलोबस एडगेव.*), तंडैलजो (*अमरांनथुसलिविडस*), कंधारोटैनडारभे (*अमारानथुस्सपिनोसस*), राजगैरो अदबौ राजगैरो (*अमरानथुसविरिदिस*), लाई एगियो (*अम्मानियाबासिसीफेरा*), करीयातु (*एंड्रोग्राफिसियोइड्स*), सुवा (*एनेथुमग्रेवेल्लेन्स*), चोडारो (*एनीसोमेलेसिंडिका*) राम्फाल (*अन्नोनेरेटिकुलाटा*), सीताफल (*अन्नोनसक्वामोसा*), भोयसिंघ (*अरचिशिपोगिया*), (*अराचिरिया स्प.*), अरदी, दरदी (*अरगेमोनेमेक्सिकाना एल.*), समुद्रसोक, समदार, सोग (*अरगीरिया नर्वोसा* (*बर्मा एफ.*) *बोज*), लैंप (*अरिसिटिडाहिस्ट्रिकुला एड्गेव.*), नॉर्वेल (*अरिस्टोलोच्चिब्रैक्टोलाटा लैम.*), (*अरिस्टोलोचिया एसपी.*), एकलकाटी (*एस्पैरागस रेसमोसस वाइल्ड.*), नीम (*अज़ादिराचतैनडीका ए. जुस.*), कैंटासेरियो (*बरलेरियाप्रीयोनिटिस*), पोई (*बेसेलारुबरा*), बोगनवेल (*बौगेनविले ग्लाबरा चॉसी*), बोगनवेल (*बौगेनविले स्पेक्ट्राबिलिस वाइल्ड*), मोतू-धर्ममानू (*सेन्क्रुसविफ्लोरस रोक्सब.*), धामन (*सेन्क्रुससिंलियारिस एल*), सफेदमुस्ली (*क्लोरोफ़ुटंबोरिविलियानम सैंट और फर्नांड*), घाना (*सिकरिएरेटिनम*), फडवेल (*सिस्म्पेलोस्पारेरा एल.*), टैंकारो (*क्लिरोडेंड्रम्फ्लोमिडीस*), परवाट्टी (*कोकुलुस्पेंड्यूलूस*), शिशमुलीउ (*कमेलिनाल्बेसेन्स हस्क.*), सिशमुलीउ (*कमेलिनबेनेघलेन्सिस*), संगेटारो (*क्रोटेलिया बुहियाबुच.-हैम.*), पारदेशिथुवार (*क्रोटोन बोनप्लांडिनम बाइल.*), रबरवेल (*क्रिप्टोस्टेगेग्रांडिफ्लोरा*), जिम (*कुमिनमसायमिन*), अमरवेल (*कुस्कुटाचिनेंसिस*), डेनाई (*डिचांतिमुन्नतुलैटम*), अम्बलैजेज़ाद (*डिपटेराकैनलहुसपैटुलुस*) पटदुधी (*यूफोरबिया थायमिफोलिया*) आदि हैं।

और, संरक्षित क्षेत्र से अभिलिखित जीवजन्तुओं में भारतीय जंगली गधा (*इक्वेशेमियसखुर*), जंगली बिल्ली (*फेलिसचॉस*), स्ट्रीप्ड हैयना (हैयना हैयना), हनी बैजर/इंडियन रटेल (*मेलिओराकापेंसिस*), इंडियन फ्लाइंग फॉक्स (*पटरोपुसिगेंटेसस*), स्मॉल इंडियन सिवेट (*विवरिकुला इंडिका*), डेज़र्ट कैट (*फेलिस सिलवेस्ट्रीस*), कैराकल (*फेलिस कैराकल*), इंडियन वुल्फ (*कैनिस लुपुस पैलीप्स*), डेज़र्ट फॉक्स (*वल्प्स वल्प्स*), इंडियन पैंगोलिन (*मैनीस क्रासिड्डाटा*), ग्रे मंगूस (*हर्पेस्टेस एडवर्सी*), सियार (*कैनिस आरेअस*), बंगाल फॉक्स (*वुल्प्स बेन्गोलेंसिस*), लॉन्गियरड हेजहोग (*हेमीचिनस कोलारिस*), एशियाई मस्क श्रेव (*सनक्यूस मुरिनस*), ग्रेटर एशियाटिक येलो हाउस बैट (*स्कॉटोफिलस हेथीथी*), फाइव-स्ट्रिप्ड पाम गिलहरी (*फुनामबुलुस पेन्नानटी*), भारतीय डेज़र्ट जिर्ड (*मेरियोनेस हुर्रियने*), इंडियन क्रिस्टेड पोर्क्यूपिन (*हाइस्ट्रिक्स इंडिका*), इंडियन हेर (*लेपस निग्रिकोलिस*), चिंकारा (*गज़ेल्ला बेन्नेट्टी*), ब्लू बुल (*बोसेलाफुस ट्रागोकैमेलस*), वाइल्ड पिंग (*सुस स्क्रोफा*), ग्रेटर बैंडिकूट रैट (*बैंडिकोटा इंडिका*), इंडियन हेजहोग (*पैराचिनस मिक्रोपस*), लेसर एशियाटिक येलो बैट (*स्कॉटोफिलस कुहली*) आदि को अभिलिखित किया गया है। जबकि, कच्छ डेज़र्ट वन्यजीव अभयारण्य की पक्षी प्रजातियां ग्रेटर फ्लेमिंगो (*फीनिकॉप्टरस रबर*), लेसर फ्लामिंगो (*फीनिकोनियास माइनर*), कॉम्ब डक (*सर्किडियोरनिस मेलानोटोस*), गॉडवॉल (*एनास स्ट्रेपेरा*), ग्रेट क्रेस्टेड

ग्रीब (*पॉडिसेप्स क्रिस्टैटस*), लिटिल ग्रेब (*टैचिबैप्टस रुफिकोलिस*), डाल्मेटियन पेलिकन (*पेलेकनस क्रिसपस*), ग्रेट व्हाइट पेलिकन (*पेलेकैनस ओनोक्रोटेलस*), ग्रेट कॉर्मोरेंट (*फालाक्रोक्रोरैक्स कार्बो*), ग्रे हेरॉन (*आर्डेया सिनेरिया*), इंडियन पॉण्ड हेरॉन (*आर्डेओला ग्रेई*), पर्पल हेरॉन (*आर्देया पुरपुरिया*), कैटल एगरेट (*बुबुलकस इबिस*), ग्रेट एगरेट (*कैस्मेरोडियस एलबस*), इंटरमीडिएट एगरेट (*मेसोफॉयक्स इंटरमेडिया*), ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क (*एफिपिओरिंचुस एसियाटिकस*), पेंटेड स्टोर्क (*माईटेरिया लुकोसेफला*), व्हाइट स्टोर्क (*सिकोनीया सिकोनीया*), यूरेशियन स्पूनबिल (*प्लाटाले ल्कोरोडिया*), ग्लॉसी इबिस (*प्लेगाडिस फैसिनेलस*), ब्लैक इबिस (*स्यूडिबिस पापिलोसा*), ब्लैक-हेडेड इबिस (*थ्रेसकीर्निस मेलानोसेफलस*), नार्थन शॉवेलर (*एनास स्कलीपाटा*), रेड-हेड वल्चर (*सरकोगीप्स कैल्वस*), सेकर फाल्कन (*फाल्को चेरुग*), ब्लैक फ्रैंकोलिन (*फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस*), ग्रे फ्रैंकोलिन (*फ्रैंकोलिनस पोंडिसिएरियनस*), सरुस क्रेन (*ग्रुस एंटिगोन*), कॉमन कुट (*फुलीका आत्रा*), बैलॉनस क्रैक (*पोज़ाना पुसिला*), कॉमन मुरहेन (*गैलिनुला क्लोरोपस*), वॉटर रेल (*रैलुस क्वाटिकस*), परपल स्वैम्फेन (*पोर्फिरियो पोरिफिरियो*), व्हाइट ब्रेस्टेड वॉटरहेन (*एमोरोरॉर्निस फोनिक्यूरस*), ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या इंडियन बस्टर्ड (*आर्देओटिस निग्रिसिस*), हुबारा या मैककेन बस्टर्ड (*क्लैमिडोटिस अनडुलाटा*), लेसर फ्लोरिकन (*सिफियोटाइड्स इंडिका*), जैक स्निप (*लिम्नोक्रिप्ट्स मिनिमस*), लिटिल स्टिंट (*कैलिड्रि मिनुटा*), स्पॉटेड रेडशैंक (*ट्रिंगा रीथ्रोपस*), टेम्पमिंक स्टिंट (*कैलिड्रिस्ट मिमिन्की*), अल्पाइन स्विफ्ट (*टैचिमेर्पिसिस मेल्बा*), यूरोपियन रोलर (*कोरासिआस गेरुलस*), कॉमन हूपो (*उपूपा पैप्स*), वायर-टेल्ड स्वालोप (*हिरंडो स्मिथि*), ग्रे-नेक्ड बंटिंग (*एम्बेरिज़ा बुचानानी*), हाउस बंटिंग या स्ट्रियोलेटेड बंटिंग (*एम्बेरिज़ा स्ट्राइलोटा*), इंडियन स्टार टोरटोइस (*जियोसेलोनि एलेगन्स*), हार्डविकस ब्लडस्कर (*ब्रैचिसोरा माइनर*), स्पिनी-टेल्ड छिपकली (*सारा हार्डविकि*), कॉमन इंडियन मॉनिटर (*वाराणस बेंगालेन्सिस*), मार्श क्रोकोडायल (*क्रोकोड्लुस प्लुस्ट्रिस*), बैंडेड रॉक गेको (*साइर्टोडैक्टिलस काकचेनसिस*) आदि हैं।

और, अभयारण्य में दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां *कोनवोलवुलुस स्टोकी, हेलिक्रीसुम्चचिकम, हेलियोट्रोफुम्बासिफेरम, कमिफोरवाइटि, हेलियोट्रोपियमरायरिफ्लोरम, पावोनीसरेटोकार्पा, सिदातिगीबीबंदारी, सारा हार्डविकि, वैनेलुसियलिअर्स, हेमीचिनसकोलारिस, सिफियोटाइड्सइंडिका, फेलिसिलवेस्ट्रीस, गैज़ेलबेनेट्टी* आदि पाई जाती हैं।

और, कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल 733.48 वर्ग किलोमीटर है।

(2) कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** में दिया गया है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध II क-ग** में है।

(4) कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा और इसके पारिस्थतिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क एवं ख** में दी गई है।

(5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन और वन्यजीव ;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों की बेहतरी की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महा-योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैराग्राफ 4 की सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह कालिक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों के जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में पारिस्थितिक अनुकूल विकास को विनियमित करेगी ।

(10) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश इस रीति से बनाए जाऐंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**– पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

		परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी जैसे कि :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। (ग) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

17.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
20.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
		ग.संवर्धित क्रियाकलाप
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5.निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है:-

1.	कलेक्टर, कच्छ-भुज	अध्यक्ष
2.	पारिस्थितिक विज्ञानी / वैज्ञानिक, गुजरात मरुस्थल पारिस्थितिकी संस्थान, भुज	सदस्य
3.	पंचायत अधिकारी: संबंधित ब्लॉक के खण्ड विकास अधिकारी।	सदस्य
4.	राजस्व विभाग के अधिकारी: संबंधित ब्लॉक के मामलादार।	सदस्य
5.	भूविज्ञान विभाग के अधिकारी: भूविज्ञानी, भुज	सदस्य
6.	सहायक वन संरक्षक, कच्छ पूर्व प्रभाग, भुज	सदस्य
7.	संबंधित रेंजों के रेंज वन अधिकारी	सदस्य
8.	उप वन संरक्षक, कच्छ पूर्व प्रभाग, भुज	सदस्य सचिव।

6.विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोडकर वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल- विशिष्ठ दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/23/2018-ई एस जेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	कच्छ का ग्रेटर रन्न (अंतर्राष्ट्रीय सीमा)
दक्षिण	भुज, अंजर, भचाऊ, रपर तालुका के ग्राम।
पूर्व	कच्छ का छोटा रन और जंगली गधा अभयारण्य की सीमा।
पश्चिम	भुज तुलाका के ग्राम और कच्छ का ग्रेटर रन।

उपाबंध- IIक

कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

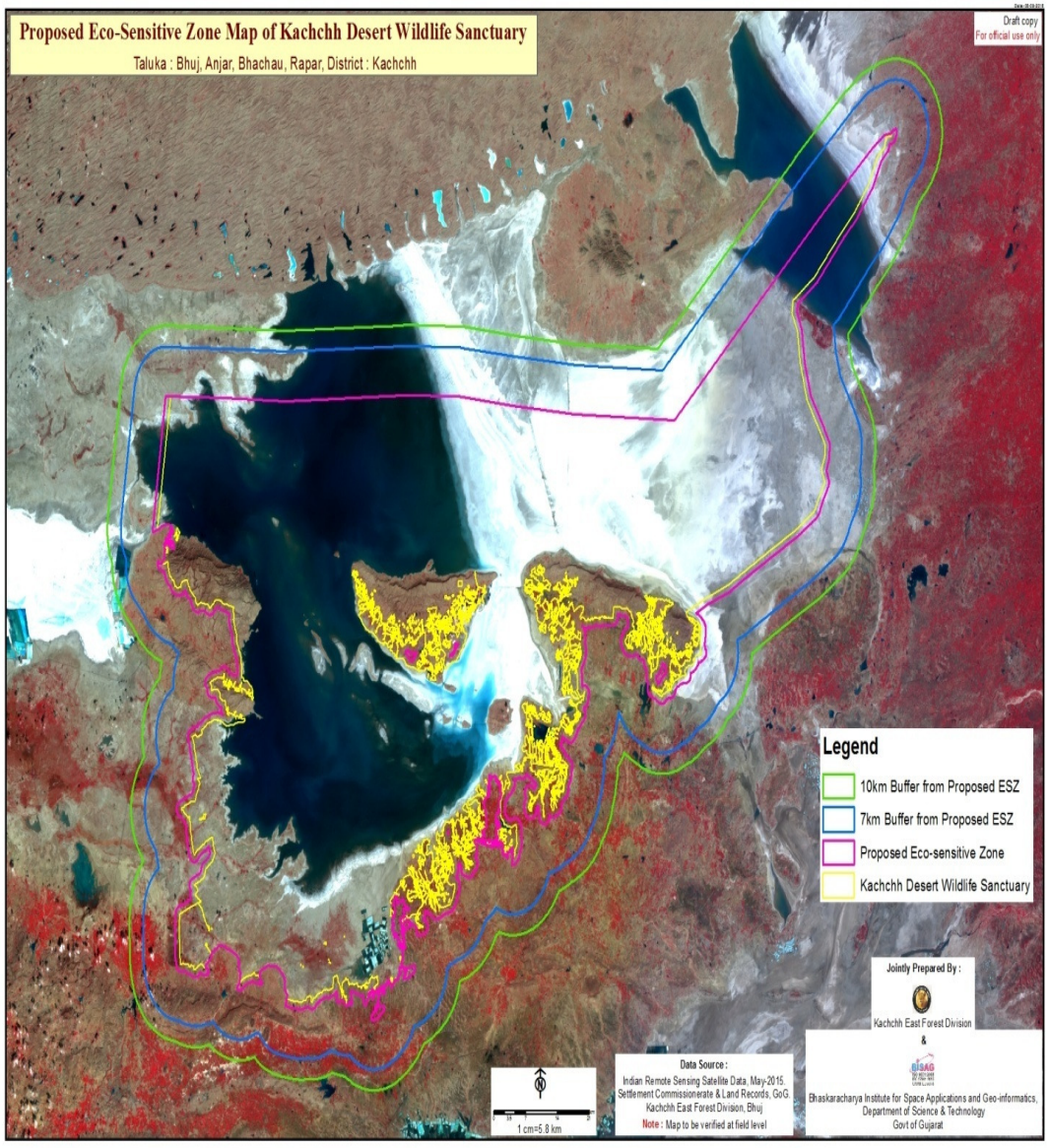

उपाबंध- IIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

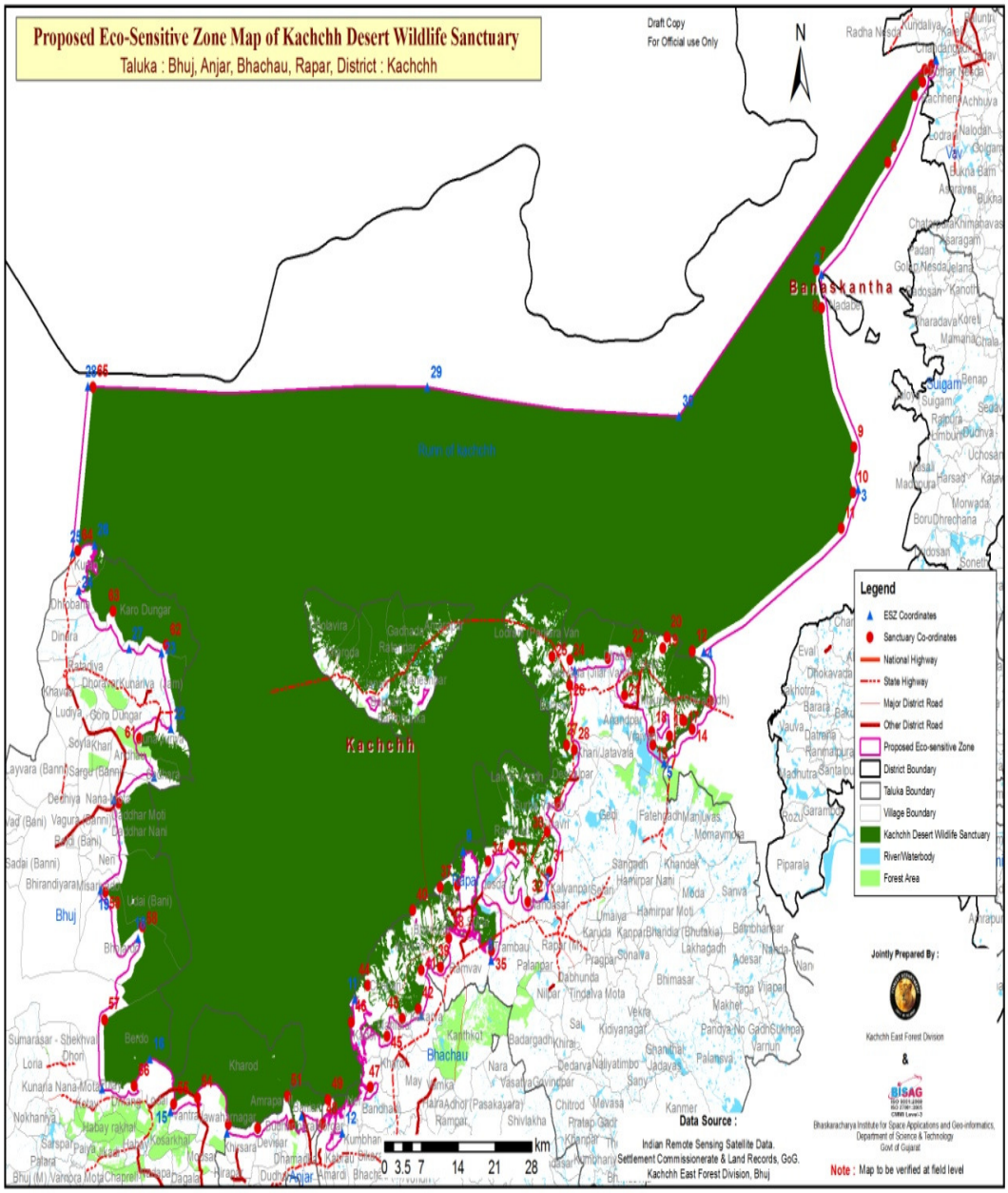

उपाबंध- IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर प्रमुख अवस्थानों के साथ कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र

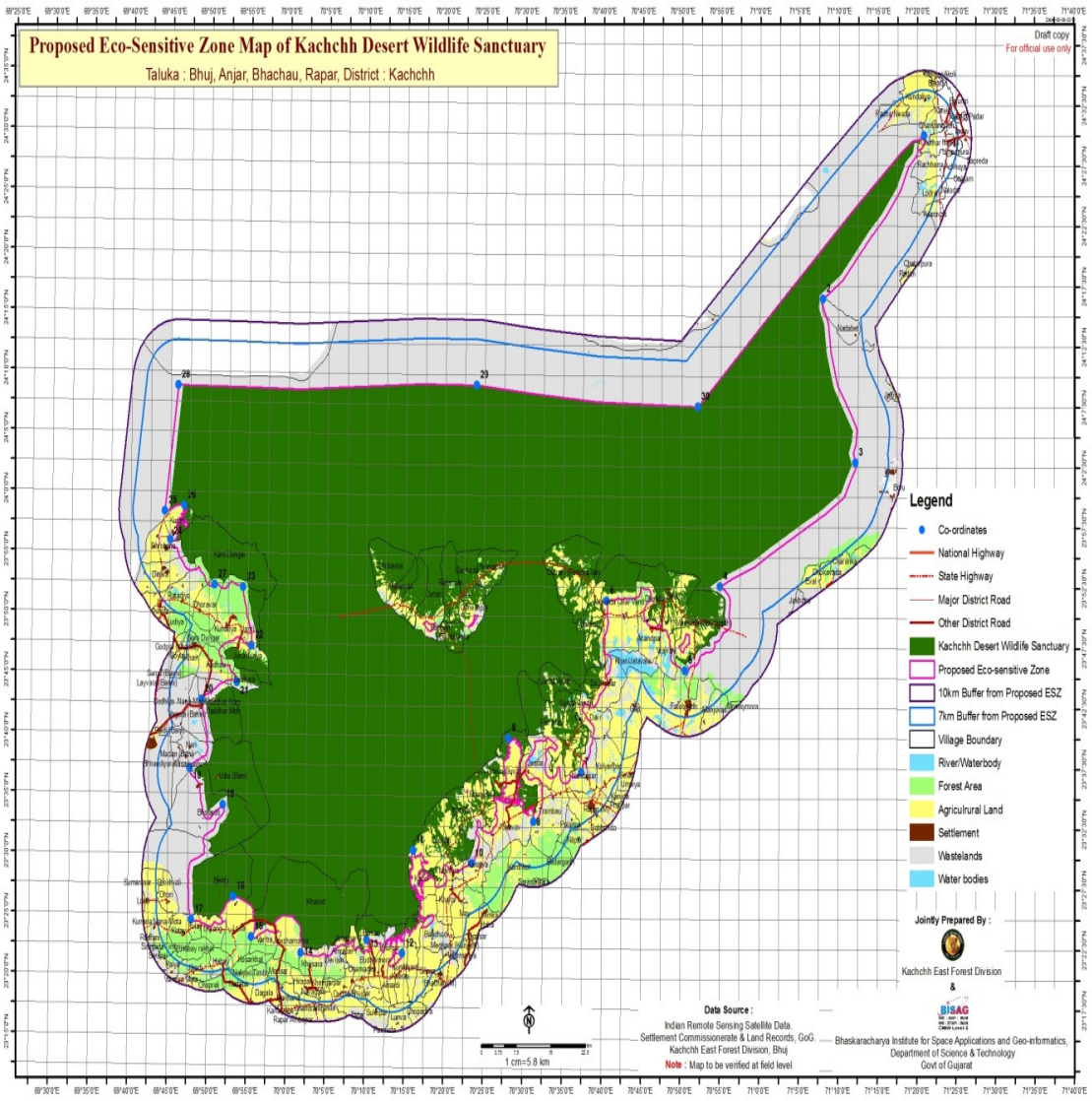

उपाबंध-III

सारणी क: कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश (उ) डीएमएस प्रारूप	देशांतर (पू) डीएमएस प्रारूप
1	1	1	24°29' 46.138"	71°20' 26.781"
2	2	2	24°29' 27.304"	71°20' 17.574"
3	3	3	24°29' 30.165"	71°19' 41.117"
4	4	4	24°28' 40.066"	71°19' 26.261"
5	5	5	24°27' 51.055"	71°18' 30.369"
6	6	6	24°23' 35.835"	71°15' 30.542"
7	7	7	24°16' 48.198"	71°07' 31.727"
8	8	8	24°14' 24.614"	71°08' 7.457"
9	9	9	24°05' 36.945"	71°11' 47.183"
10	10	10	24°02' 44.927"	71°11' 40.977"
11	11	11	24°00' 29.182"	71°10' 21.994"
12	12	12	23°52' 40.728"	70°53' 44.088"
13	13	13	23°49' 32.953"	70°55' 47.337"
14	14	14	23°47' 46.334"	70°53' 45.327"
15	15	15	23°46' 44.813"	70°49' 19.551"
16	16	16	23°47' 19.576"	70°51' 11.694"
17	17	17	23°48' 16.647"	70°52' 50.525"
18	18	18	23°47' 34.299"	70°49' 13.895"
19	19	19	23°52' 51.726"	70°50' 25.333"
20	20	20	23°53' 32.622"	70°50' 52.915"
21	21	21	23°49' 52.903"	70°46' 11.286"
22	22	22	23°52' 36.767"	70°46' 35.839"
23	23	23	23°52' 11.475"	70°44' 17.185"
24	24	24	23°52' 4.743"	70°40' 1.893"
25	25	25	23°52' 17.452"	70°38' 3.679"
26	26	26	23°50' 28.328"	70°40' 1.547"
27	27	27	23°46' 41.914"	70°39' 43.101"
28	28	28	23°46' 25.043"	70°40' 34.464"
29	29	29	23°43' 4.872"	70°38' 45.322"
30	30	30	23°41' 12.382"	70°37' 35.274"
31	31	31	23°38' 41.700"	70°37' 51.683"

32	32	32	23°36' 46.025"	70°35' 27.914"
33	33	33	23°40' 21.455"	70°33' 39.265"
34	34	34	23°39' 19.235"	70°30' 59.587"
35	35	35	23°33' 39.285"	70°31' 26.150"
36	36	36	23°37' 46.808"	70°27' 34.022"
37	37	37	23°37' 37.038"	70°25' 40.900"
38	38	38	23°34' 26.688"	70°26' 37.724"
39	39	39	23°32' 36.096"	70°25' 44.796"
40	40	40	23°36' 9.127"	70°22' 36.248"
41	41	41	23°32' 22.331"	70°23' 36.094"
42	42	42	23°29' 56.967"	70°23' 15.957"
43	43	43	23°29' 19.379"	70°21' 29.841"
44	44	44	23°31' 22.663"	70°17' 38.279"
45	45	45	23°28' 12.292"	70°19' 49.317"
46	46	46	23°29' 2.561"	70°15' 50.033"
47	47	47	23°24' 57.476"	70°17' 58.544"
48	48	48	23°22' 34.694"	70°12' 39.064"
49	49	49	23°24' 8.191"	70°13' 16.175"
50	50	50	23°22' 31.260"	70°9' 14.669"
51	51	51	23°24' 19.929"	70°8' 44.200"
52	52	52	23°22' 15.515"	70°5' 28.464"
53	53	53	23°22' 27.069"	70°2' 10.721"
54	54	54	23°24' 7.319"	69°58' 45.047"
55	55	55	23°23' 41.428"	69°56' 5.412"
56	56	56	23°24' 47.196"	69°51' 41.437"
57	57	57	23°28' 56.093"	69°48' 19.547"
58	58	58	23°34' 52.471"	69°52' 28.330"
59	59	59	23°36' 59.400"	69°48' 19.586"
60	60	60	23°42' 36.892"	69°49' 43.760"
61	61	61	23°46' 45.012"	69°52' 0.908"
62	62	62	23°52' 38.769"	69°54' 54.963"
63	63	63	23°54' 42.901"	69°48' 56.295"
64	64	64	23°58' 30.304"	69°44' 57.032"
65	65	65	24°08' 50.575"	69°46' 31.947"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु के अवस्थान/दिशा	अक्षांश (उ) डीएमएस प्रारूप	देशांतर (पू) डीएमएस प्रारूप
1	1	1	24° 30' 04.333"	71° 20' 56.221"
2	2	2	24° 16' 30.128"	71°0 8' 05.386"
3	3	3	24° 02' 56.522"	71° 12' 14.051"
4	4	4	23° 52' 37.652"	70° 55' 00.234"
5	5	5	23° 45' 36.544"	70° 50' 34.870"
6	6	6	23° 51' 23.983"	70° 40' 36.927"
7	7	7	23° 37' 08.201"	70° 37' 28.392"
8	8	8	23° 33' 02.768"	70° 31' 23.946"
9	9	9	23° 39' 55.071"	70° 28' 13.567"
10	10	10	23° 29' 29.966"	70° 23' 36.004"
11	11	11	23° 30' 30.082"	70° 16' 11.608"
12	12	12	23° 22' 01.443"	70° 14' 51.539"
13	13	13	23° 23' 04.691"	70° 10' 21.570"
14	14	14	23° 22' 27.069"	70° 02' 10.721"
15	15	15	23° 22' 12.539"	69° 55' 43.364"
16	16	16	23° 26' 30.821"	69° 53' 25.018"
17	17	17	23° 24' 34.254"	69° 48' 06.173"
18	18	18	23° 34' 06.351"	69° 52' 00.396"
19	19	19	23° 37' 05.781"	69° 47' 45.000"
20	20	20	23° 42' 49.892"	69° 49' 11.409"
21	21	21	23° 44' 18.690"	69° 53' 39.636"
22	22	22	23° 47' 22.706"	69° 55' 29.463"
23	23	23	23° 52' 10.169"	69° 54' 23.910"
24	24	24	23° 56' 09.517"	69° 45' 06.256"
25	25	25	23° 58' 23.978"	69° 44' 22.339"
26	26	26	23° 58' 52.656"	69° 46' 48.230"
27	27	27	23° 52' 22.119"	69° 50' 45.302"
28	28	28	24° 08' 51.812"	69° 45' 56.372"
29	29	29	24° 09' 10.209"	70° 23' 57.735"
30	30	30	24° 07' 30.400"	70° 52' 09.580"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ कच्छ मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तहसील/तालुक	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	अमरापार-II	राजस्व	अंजर	23°22'43.37"	70°08' 22.71"
2	देवीसार	राजस्व	अंजर	23°21'05.24"	70°06' 14.26"
3	धमाडका	राजस्व	अंजर	23°21'10.38"	70°09' 26.40"
4	अमरापार	राजस्व	भचाऊ	23°22'43.37"	70°08' 22.71"
5	बमभांका	राजस्व	भचाऊ	23°48'39.24"	70°20' 02.66"
6	बंधादी	राजस्व	भचाऊ	23°23'27.04"	70°19' 05.04"
7	बनैरी	राजस्व	भचाऊ	23°23'41.66"	70°10' 30.95"
8	बपौरी	राजस्व	भचाऊ	23°50'27.56"	70°20' 20.26"
9	भरुदिया	राजस्व	भचाऊ	23°33'39.89"	70°24' 57.44"
10	छोबरी	राजस्व	भचाऊ	23°51'45.29"	70°23' 44.34"
11	धोलाविरा	राजस्व	भचाऊ	23°52'54.97"	70°12' 50.03"
12	गधादा	राजस्व	भचाऊ	23°54'29.25"	70°23' 43.47"
13	गनेशपार	राजस्व	भचाऊ	23°51'44.57"	70°23' 43.96"
14	जनान	राजस्व	भचाऊ	23°49'49.51"	70°18' 26.71"
15	कल्यानपार	राजस्व	भचाऊ	23°51'52.22"	70°16' 56.93"
16	कबरौ	राजस्व	भचाऊ	23°19'26.12"	70°14' 48.36"
17	कदोल	राजस्व	भचाऊ	23°28'56.62"	70°16' 34.56"
18	काकारवा	राजस्व	भचाऊ	23°29'34.78"	70°24' 43.23"
19	कनखोई	राजस्व	भचाऊ	23°33'29.23"	70°22' 39.42"
20	खरोदा	राजस्व	भचाऊ	23°52'15.99"	70°14' 48.24"
21	कुमभरदी	राजस्व	भचाऊ	23°20'18.32"	70°16' 14.04"
22	मनफारा	राजस्व	भचाऊ	23°28'31.23"	70°21' 13.93"
23	मोरगर	राजस्व	भचाऊ	23°20'26.45"	70°12' 23.16"
24	रतनपार	राजस्व	भचाऊ	23°53'11.69"	70°21' 14.88"
25	अंधौ	राजस्व	भुज	23°45'31.85"	69°49' 47.29"
26	बेरदो	राजस्व	भुज	23°29'38.61"	69°55' 49.37"
27	भोजारदो	राजस्व	भुज	23°35'37.23"	69°48' 47.50"
28	दद्धार मोती	राजस्व	भुज	23°42'06.90"	69°52' 17.70"
29	दद्धार नानी	राजस्व	भुज	23°41'32.84"	69°48' 00.48"

30	धोरावर	राजस्व	भुज	23°50'24.54"	69°50' 31.33"
31	ध्रोबाना	राजस्व	भुज	23°56'08.23"	69°45' 09.54"
32	दिनारा	राजस्व	भुज	23°53'14.96"	69°43' 42.96"
33	फुलेय	राजस्व	भुज	23°24'16.47"	69°49' 05.54"
34	दोरोदुंगर	राजस्व	भुज	23°47'44.19"	69°49' 05.54"
35	जवाहरनगर	राजस्व	भुज	23°21'46.04"	70°01' 14.05"
36	जुनाजुरिया	राजस्व	भुज	23°45'25.31"	69°56' 35.25"
37	खरोद	राजस्व	भुज	23°26'30.31"	70°03' 38.46"
38	कुनरिया (जैम)	राजस्व	भुज	23°49'40.07"	69°53' 16.88"
39	कुरन्न	राजस्व	भुज	23°57'24.27"	69°46' 56.28"
40	लोदाई	राजस्व	भुज	23°23'58.31"	69°53' 11.29"
41	मिसरियादो	राजस्व	भुज	23°38'37.03"	69°46' 37.01"
42	मेरी	राजस्व	भुज	23°38'37.03"	69°47' 38.78"
43	सधारा	राजस्व	भुज	23°44'39.91"	69°52' 27.96"
44	उदाई (बानी)	राजस्व	भुज	23°35'55.42"	69°51' 14.21"
45	वगुरा (बन्नी)	राजस्व	भुज	23°44'39.91"	69°52' 27.96"
46	वतरा	राजस्व	भुज	23°21'52.43"	69°56' 56.36"
47	आन्नदपार	राजस्व	रपर	23°49'06.88"	70°46' 07.42"
48	बालासर	राजस्व	रपर	23°50'32.41"	70°40' 03.99"
49	बेला	राजस्व	रपर	23°52'28.42"	70°48' 16.72"
50	जतावडा (जिलरवांद)	राजस्व	रपर	23°50'15.02"	70°42' 55.17"
51	जेसदा	राजस्व	रपर	23°37'50.32"	70°32' 17.69"
52	लकडावंध	राजस्व	रपर	23°52'25.65"	70°37' 50.43"
53	लोदरानी (परकारा वन)	राजस्व	रपर	23°53'25.65"	70°37' 50.43"
54	मौवाना (शिवगढ़)	राजस्व	रपर	23°49'41.95"	70°52' 00.94"
55	नंदासर	राजस्व	रपर	23°36'41.63"	70°38' 11.77"
56	रामवाव	राजस्व	रपर	23°33'02.12"	70°28' 11.09"
57	रावमोती	राजस्व	रपर	23°39'33.71"	70°28' 47.02"
58	सुरबावंध	राजस्व	रपर	23°42'47.49"	70°36' 13.42"
59	सुवाई	राजस्व	रपर	23°36'52.49"	70°29' 31.78"
60	ट्रामबौ	राजस्व	रपर	23°34'53.04"	70°33' 22.32"
61	खरीजतावडा	राजस्व	रपर	23°50'14.81"	70°45'3.77"
62	कल्यानपार	राजस्व	रपर	23°36'11.30"	70°40' 25.46"
63	वनोई	राजस्व	रपर	23°36'48.72"	70°26' 56.08"
64	वरजवानी	राजस्व	रपर	23°48'57.73"	70°47' 33.01"

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति-की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

S.O. 4775(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS. -The Kachchh Desert Wildlife Sanctuary is spread over an area of 7506.22 square kilometres and situated in Bhuj, Anjar, and Bhachau&RaparTaluka/Tehsil of Kachchh district in the state of Gujarat.

AND WHEREAS. - The Greater Rann of Kachchh (GRK) is the north-eastern region of Kachchh district bordering Indo-Pak border. The most saline desert is almost flat with highlands known as 'beyts' having floral as well as faunal diversity of the region. Rann is a unique salt-crusted wasteland and the depositional plain of the recent time. Enormous volume of detritus was discharged into it by several small, seasonal streams flowing from Rajasthan area also, which drained this arid region towards the east and north-east (Gazetteer, 1965). The coarser sediments might have been deposited in the inlet channels at their heads while the finer sediments might have been carried further and spread over the flooded areas and got deposited as mud-flats. Thus, the mud flats of the Rann have gradually built up year after year. During dry period, except for some perennially wet patches, the whole region gets practically covered with salt encrustation to

varying degrees. Rising only a few meters above the Rann surface area certain islands like features termed as "Beyts". The beyts are easily distinguished from the low lying plain by means of the scanty vegetation that they support in contrast to the lack of it in the later. Recognizing the ecological, faunal, floral and geo-morphological significance, and for the purpose of protecting, conserving and developing wildlife and their habits, Government of Gujarat vide its notification no. GSABN-41-85-WLP-1386-207-V-2, Dated 28th February' 1986 declared an area of 7506.22 km² as "Kutch Desert Wildlife Sanctuary" in Kachchh District. It lies between 23° 25' and 24°30' N latitude and 69 ° 53' and 70 °55' E longitude. GRK is a true saline desert in low-lying flats with average altitude of 15 m above mean sea level. Kaladungar is the highest point (438 m) within the Sanctuary. The area comprises of villages of Bhuj, Rapar, Anjar and Bhachau Blocks of Kachchh District. Out of total area of the Sanctuary, 109.00 km² is forest area, 1313.07 km² revenue wasteland while remaining area is Wet land.

AND WHEREAS. - Right in the midst of the GRK, there is a slightly raised ground where large numbers of Flamingos build their mud nests and breed. The area is known as **"Hunjbeyt"** or "**Flamingo city**". The area may not be considered very rich in diversity but it support one of the magnificent "Ecological phenomena" and largest congregation of Greater Flamingos. As per the management plan of the sanctuary, area is exposed to threats mainly from poaching, illicit cutting, encroachment and illegal activities. Hence areas around the sanctuary require control through declaration of Eco-sensitive Zone.It will ultimately decrease the man animal conflict and in future local population will be benefitted. By declaring this area as eco-sensitive zone, we can restore the eco-system of wild animals and its habitat.

AND WHEREAS. -The important flora recorded from the sanctuary are Ran bhindi, (*Abelmoschusmanihot*), Gunja (*Abrusprecatorius*), Khapat, Dabliar *(Abutilon indicum*), Bhonykhanski (*Abutilon theophrasti* Medic), Australian Baval (*Acacia auriculiformis*), Talbavari (*Acacia jacquemontii*), Runchalodadro (*Acalyphaciliata* Forsk.), Dadari (*Acalyphaindica*), Aghado (*Achyranthesaspera*Var. aspera L.), Ardusi (*Adhatodazeylanica* (L.) Nees), Gorakhganjo (*Aervapersica* (Burm.f.), Ramban, Ketaki (*Agave Americana* L.), Moto arduso (*Ailanthus excels* Roxb.), Ankol, Ankoli (*Alangiumsalvifolium*), Shirish (*Albiziaamara* Boivin.), Sasalozad (*Albiziaodoratissima*), Dongari (*Allium cepa*), Gingwar (*Aloe barbadensis*Mill.), Samervo (*Alysicarpustetragonolobus Edgew.*), Tandaljo (*Amaranthuslividus*), Kandharotandarbhe (*Amaranthusspinosus*), Rajgaro Adbau Rajgaro (*Amaranthusviridis*), Lai agio (*Ammanniabaccifera*), Kariyatu (*Andrographisechioides*), Suwa (*Anethumgraveolens*), Chodharo (*Anisomelesindica)* Ramphal (*Annonareticulata*), Sitaphal (*Annonasquamosa*), Bhoysingh (*Arachishypogaea*), (*Araucaria sp.*), Aredi, Daradi (*Argemonemexicana L.*), Samudrasok, Samadar, Sog (*Argyreia nervosa (Burm. f.) Boj*), Lamp (*Arisitidahistricula Edgew.*), Norvel (*Aristolochiabracteolata Lam.*), (*Aristolochia sp.*), Ekalkati (*Asparagus racemosusWilld.*), Neem (*Azadirachtaindica A. Juss.*), Kantaaserio (*Barleriaprionitis*), Poi (*Basellarubra*), Boganvel (*Bougainvillea glabra Choisy*), Boganvel (*Bougainvillea spectabilis Willd*), Motu-Dharmanu (*Cenchrusbiflorus Roxb.*), Dhaman (*Cenchrusciliaris L*), Safedmusli (*Chlorophytumborivilianum Sant. & Fernand*), Ghana (*Cicerarietinum*), Phadvel (*Cissampelospareira L.*), Tankaro (*Clerodendrumphlomidis*), Parwatti (*Cocculuspendulus*), Shishmuliu (*Commelinaalbescens Hassk.*), Sishmuliu (*Commelinabenghalensis*), Sangetaro (*Crotalaria burhiaBuch.-Ham.*), Pardeshithuvar (*Croton bonplandianum Baill.*), Rabarvel (*Cryptostegiagrandiflora*), Jim (*Cuminumcyminum*), Amarvel (*Cuscutachinensis*), Denai (*Dichanthiumannulatum*), Ambliejezad (*Dipteracanlhuspatulus)* Patdudhi (*Euphorbia thymifolia*) etc.

AND WHEREAS.–The fauna recorded from the protected area are Indian Wild Ass (*Equushemionuskhur),* Jungle Cat (*Felischaus),* Striped Hyena (*Hyaenahyaena),* Honey Badger / Indian Ratel (*Mellivoracapensis),* Indian Flying Fox (*Pteropusgiganteus),* Small Indian Civet (*Viverriculaindica),* Desert Cat (*Felissilvestris),* Caracal (*Felis caracal),* Indian Wolf (*Canis lupus Pallipes),* Desert Fox (*Vulpesvulpes),* Indian pangolin (*Maniscrassicaudata),* Gray Mongoose (*Herpestesedwardsi),* Jackal (*Canisaureus),* Bengal Fox (*Vulpesbengalensis),* Longeared Hedgehog (*HemiechinusCollaris),* Asian Musk Shrew (*Suncusmurinus),* Greater Asiatic Yellow House Bat (*Scotophilus Heathii),* Five-striped Palm Squirrel (*Funambuluspennanti),* Indian Desert Jird (*Merioneshurrianae),* Indian Creasted Porcupine (*Hystrixindica),* Indian Hare (*Lepusnigricollis),* Chinkara (*GazellaBennettii),* Blue bull (*Boselaphustragocamelus),* Wild pig (*Sus scrofa),* Greater Bandicoot Rat (*Bandicotaindica),* Indian Hedgehog (*Paraechinusmicropus),* Lesser Asiatic Yellow bat (*Scotophiluskuhli)* etc. While, bird species of the Kachchh Desert Wildlife Sanctuary are Greater Flamingo (*Phoenicopterusruber),* Lesser Flamingo (*Phoeniconaias minor),* Comb Duck (*Sarkidiornismelanotos),* Gadwall (*Anasstrepera),* Great Crested Grebe (*Podicepscristatus),* Little Grebe (*Tachybaptusruficollis),* Dalmatian Pelican (*Pelecanuscrispus),* Great White Pelican (*Pelecanusonocrotalus),* Great Cormorant (*Phalacrocoraxcarbo),* Grey Heron (*Ardeacinerea),* Indian Pond Heron (*Ardeolagrayii),* Purple Heron (*Ardeapurpurea),* Cattle Egret (*Bubulcus ibis),* Great Egret (*Casmerodiusalbus),* Intermediate Egret

(*Mesophoyxintermedia),* Black-necked Stork (*Ephippiorhynchusasiaticus),* Painted Stork (*Mycterialeucocephala),* White Stork (*Ciconiaciconia),* Eurasian Spoonbill (*Platalealeucorodia),* Glossy Ibis (*Plegadisfalcinellus),* Black Ibis (*Pseudibispapillosa),* Black-headed Ibis (*Threskiornismelanocephalus),* Northern Shoveler (*Anasclypeata),* Red-headed Vulture (*Sarcogypscalvus),* Saker Falcon (*Falco Cherrug),* Black Francolin (*Francolinusfrancolinus),* Grey Francolin (*Francolinuspondicerianus),* Sarus Crane (*Grusantigone),* Common Coot (*Fulicaatra),* Baillon's Crake (*Porzanapusilla),* Common Moorhen (*Gallinulachloropus),* Water Rail (*Rallusaquaticus),* Purple Swamphen (*Porphyrioporphyrio),* White-breasted Waterhen (*Amaurornisphoenicurus),* Great Indian Bustard or Indian Bustard (*Ardeotisnigriceps),* Houbara or Macqueen's Bustard (*Chlamydotisundulata),* Lesser Florican (*Sypheotidesindica),* Jack Snipe (*Lymnocryptesminimus),* Little Stint (*Calidrisminuta),* Spotted Redshank (*Tringaerythropus),* Temminck's Stint (*Calidristemminckii),* Alpine Swift (*Tachymarptis melba),* Europian Roller (*Coraciasgarrulus),* Common Hoopoe (*Upupaepops),* Wire-tailed Swallow (*Hirundosmithii),* Grey-necked Bunting (*Emberizabuchanani),* House Bunting or Striolated Bunting (*Emberizastrailota)*, Indian Star Tortoise (*Geocheloneelegans),* Hardwicke's Bloodsucker (*Brachysaura minor),* Spiny-tailed Lizard (*Sara hardwickii),* Common Indian Monitor (*Varanusbengalensis),* Marsh Crocodile (*Crocodyluspalustris),* Banded Rock Gecko (*Cyrtodactyluskacchensis)* etc.

AND WHEREAS. -The rare and endangered species found in the sanctuary are *Convolvulus stocksii, Helichrysumcutchicum, Heliotropiumbacciferum, Commiphorawightii, Heliotropiumrariflorum, Pavoniaceratocarpa, SidatiagiiBhandari, Sara hardwickii, Vanellusgregarius, Hemiechinuscollaris, Sypheotidesindica, Felissilvestris, Gazellabennettii*etc.

AND WHEREAS. -it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Kachchh Desert Wildlife Sanctuary, as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent from zero to 1 kilometres around the boundary of Kachchh Desert Wildlife Sanctuary in the in the Kachchh district in the state of Gujarat as the Kachchh Desert Wildlife Sanctuary, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –

(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from **zero to 1 km** around the Kachchh Desert Wildlife Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is **733.48 square kilometres**.

(2) The boundary description of Kachchh Desert Wildlife Sanctuaryand its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

(3) The map of the Protected Area demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A-C.**

(4) The list of geo-coordinates of the boundary of Kachchh Desert Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in table **A & B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. –

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. Small scale industries not causing pollution;

iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

v. Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. -Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units. –

(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
		B. Regulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic

		amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale nonpolluting industries.	Nonpolluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
14.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law
17.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.

21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:

The Central Government constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

1.	Collector, Kachchh-Bhuj	Chairman
2.	Ecologist/ Scientist, Gujarat Institute of Desert Ecology, Bhuj	Member
3.	Official of Panchayat: Block Development Officer of Concern block.	Member
4.	Official of Revenue Department: Mamlatdar of Concern block.	Member
5.	Official of Geology Department : Geologist, Bhuj	Member
6.	Assistant Conservator of Forests, Kachchh East Division, Bhuj	Member
7.	Range Forest Officers of Concern Ranges	Member
8.	Deputy Conservator of Forests, Kachchh East Division, Bhuj	Member Secretary

6. Terms of Reference. –

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7.The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/23/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE KACHCHH DESERT WILDLIFE SANCTUARY, GUJARAT

North	Greater Rann of Kachchh (International Boundary)
South	Villages of Bhuj, Anjar, Bhachau, Rapartalukas.
East	Little Rann of Kachchh and Border of Wild Ass Sanctuary.
West	Villages of BhujTaluka and Greater Rann of Kachchh.

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KACHCHH DESERT WILDLIFE SANCTUARY

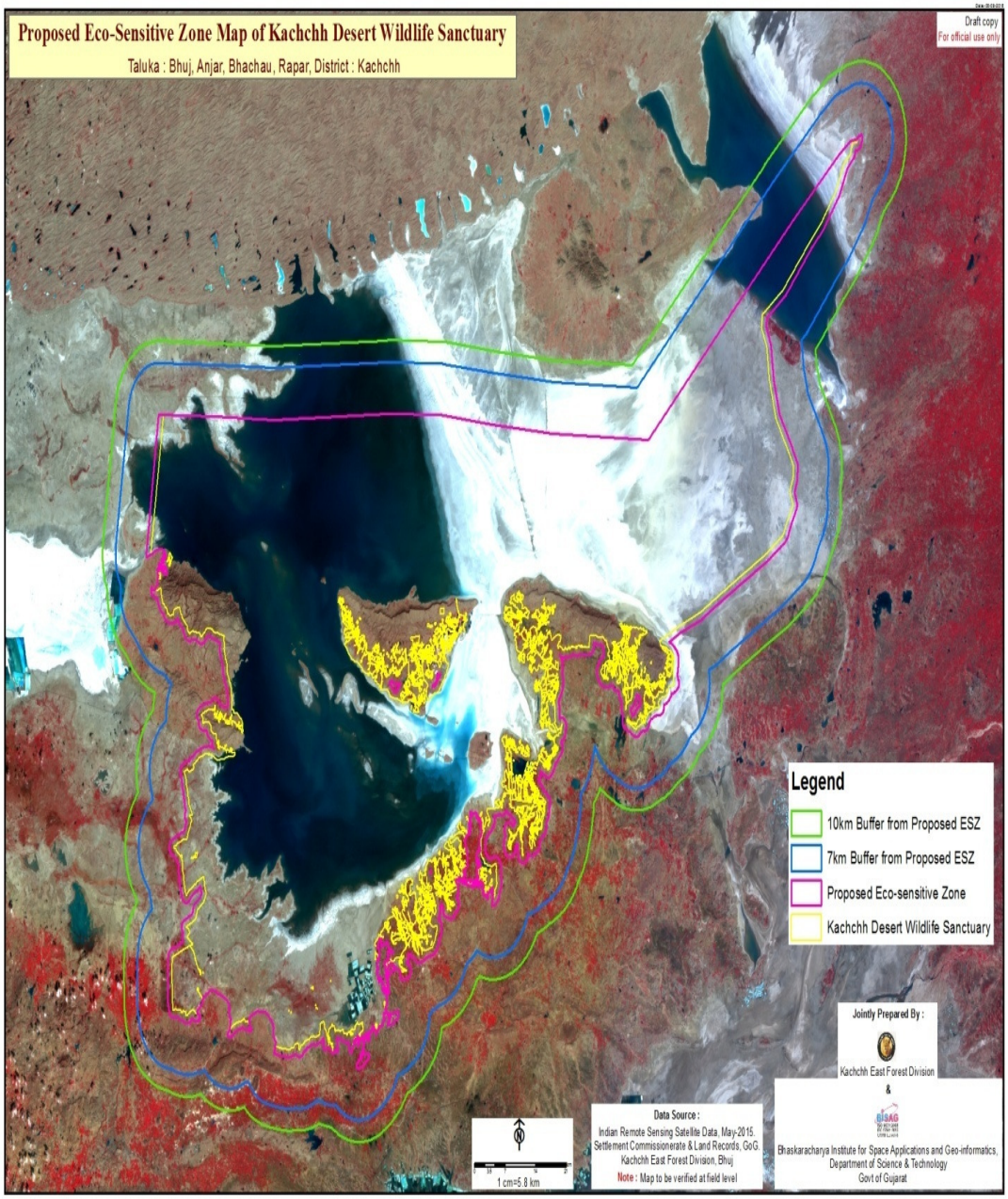

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KACHCHH DESERT WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

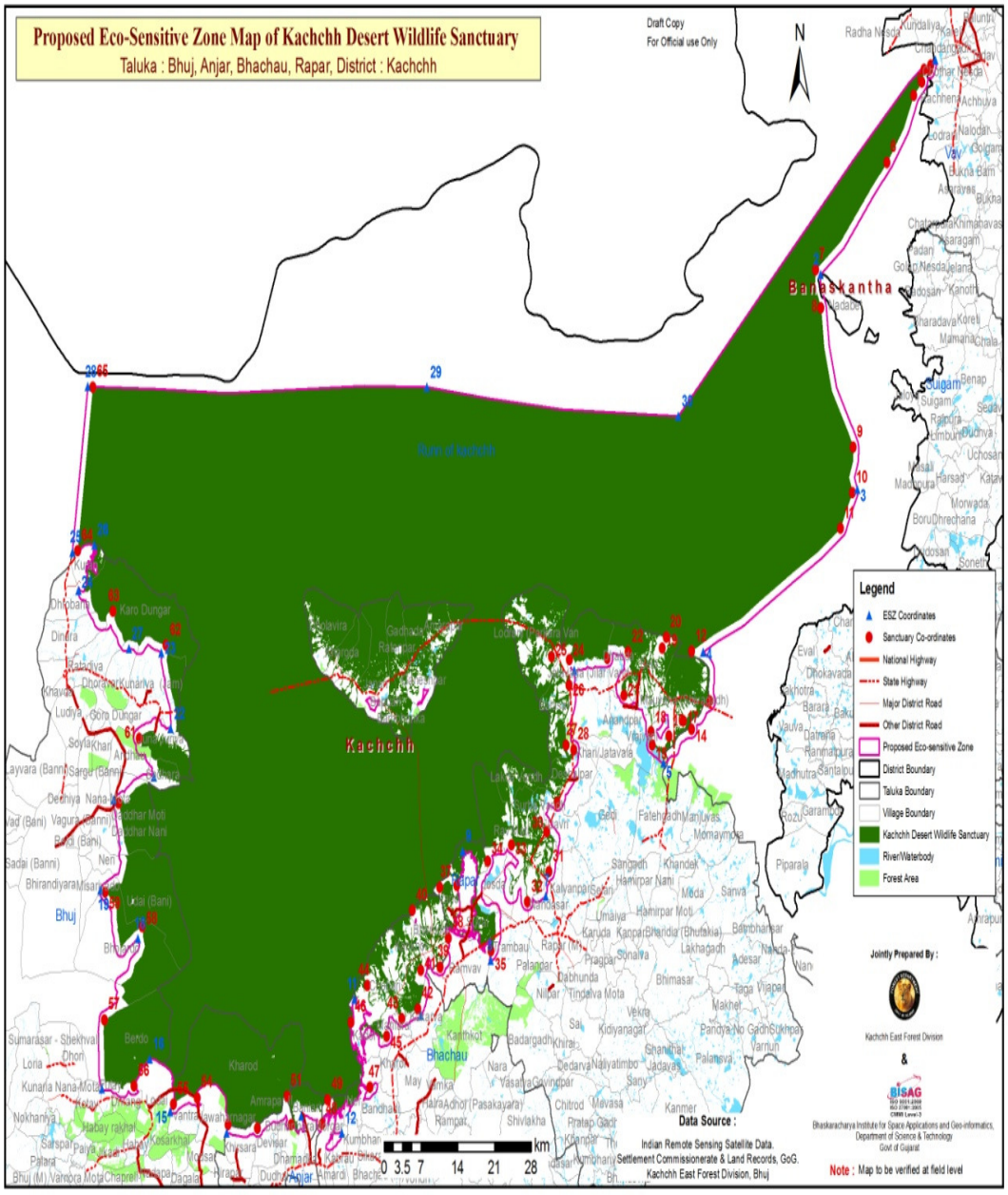

ANNEXURE- IIC

LAND USE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KACHCHH DESERT WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

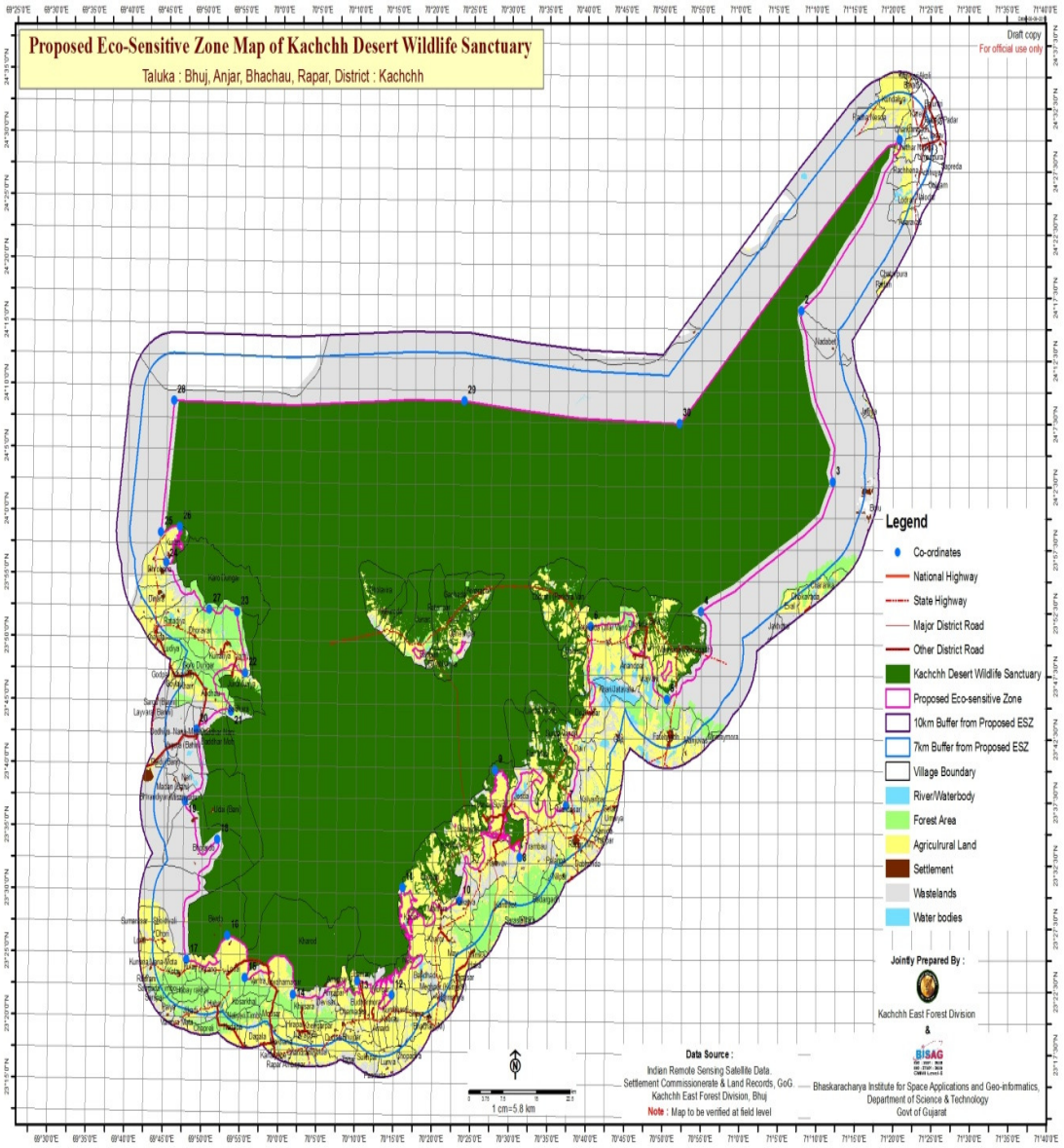

ANNEXURE-III

TABLE A: Geo-coordinates of Prominent Locations of Kachchh Desert Wildlife Sanctuary

Sr.No	Identification of Prominent Points	Location/ Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	1	1	24°29' 46.138"	71°20' 26.781"
2	2	2	24°29' 27.304"	71°20' 17.574"
3	3	3	24°29' 30.165"	71°19' 41.117"
4	4	4	24°28' 40.066"	71°19' 26.261"

5	5	5	24°27' 51.055"	71°18' 30.369"
6	6	6	24°23' 35.835"	71°15' 30.542"
7	7	7	24°16' 48.198"	71°07' 31.727"
8	8	8	24°14' 24.614"	71°08' 7.457"
9	9	9	24°05' 36.945"	71°11' 47.183"
10	10	10	24°02' 44.927"	71°11' 40.977"
11	11	11	24°00' 29.182"	71°10' 21.994"
12	12	12	23°52' 40.728"	70°53' 44.088"
13	13	13	23°49' 32.953"	70°55' 47.337"
14	14	14	23°47' 46.334"	70°53' 45.327"
15	15	15	23°46' 44.813"	70°49' 19.551"
16	16	16	23°47' 19.576"	70°51' 11.694"
17	17	17	23°48' 16.647"	70°52' 50.525"
18	18	18	23°47' 34.299"	70°49' 13.895"
19	19	19	23°52' 51.726"	70°50' 25.333"
20	20	20	23°53' 32.622"	70°50' 52.915"
21	21	21	23°49' 52.903"	70°46' 11.286"
22	22	22	23°52' 36.767"	70°46' 35.839"
23	23	23	23°52' 11.475"	70°44' 17.185"
24	24	24	23°52' 4.743"	70°40' 1.893"
25	25	25	23°52' 17.452"	70°38' 3.679"
26	26	26	23°50' 28.328"	70°40' 1.547"
27	27	27	23°46' 41.914"	70°39' 43.101"
28	28	28	23°46' 25.043"	70°40' 34.464"
29	29	29	23°43' 4.872"	70°38' 45.322"
30	30	30	23°41' 12.382"	70°37' 35.274"
31	31	31	23°38' 41.700"	70°37' 51.683"
32	32	32	23°36' 46.025"	70°35' 27.914"
33	33	33	23°40' 21.455"	70°33' 39.265"
34	34	34	23°39' 19.235"	70°30' 59.587"
35	35	35	23°33' 39.285"	70°31' 26.150"
36	36	36	23°37' 46.808"	70°27' 34.022"
37	37	37	23°37' 37.038"	70°25' 40.900"
38	38	38	23°34' 26.688"	70°26' 37.724"
39	39	39	23°32' 36.096"	70°25' 44.796"
40	40	40	23°36' 9.127"	70°22' 36.248"
41	41	41	23°32' 22.331"	70°23' 36.094"
42	42	42	23°29' 56.967"	70°23' 15.957"
43	43	43	23°29' 19.379"	70°21' 29.841"
44	44	44	23°31' 22.663"	70°17' 38.279"
45	45	45	23°28' 12.292"	70°19' 49.317"
46	46	46	23°29' 2.561"	70°15' 50.033"
47	47	47	23°24' 57.476"	70°17' 58.544"
48	48	48	23°22' 34.694"	70°12' 39.064"
49	49	49	23°24' 8.191"	70°13' 16.175"
50	50	50	23°22' 31.260"	70°9' 14.669"
51	51	51	23°24' 19.929"	70°8' 44.200"
52	52	52	23°22' 15.515"	70°5' 28.464"

53	53	53	23°22' 27.069"	70°2' 10.721"
54	54	54	23°24' 7.319"	69°58' 45.047"
55	55	55	23°23' 41.428"	69°56' 5.412"
56	56	56	23°24' 47.196"	69°51' 41.437"
57	57	57	23°28' 56.093"	69°48' 19.547"
58	58	58	23°34' 52.471"	69°52' 28.330"
59	59	59	23°36' 59.400"	69°48' 19.586"
60	60	60	23°42' 36.892"	69°49' 43.760"
61	61	61	23°46' 45.012"	69°52' 0.908"
62	62	62	23°52' 38.769"	69°54' 54.963"
63	63	63	23°54' 42.901"	69°48' 56.295"
64	64	64	23°58' 30.304"	69°44' 57.032"
65	65	65	24°08' 50.575"	69°46' 31.947"

TABLE B: Geo-coordinates of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S No	Identification of Prominent Points	Location/ Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	1	1	24° 30' 04.333"	71° 20' 56.221"
2	2	2	24° 16' 30.128"	71°0 8' 05.386"
3	3	3	24° 02' 56.522"	71° 12' 14.051"
4	4	4	23° 52' 37.652"	70° 55' 00.234"
5	5	5	23° 45' 36.544"	70° 50' 34.870"
6	6	6	23° 51' 23.983"	70° 40' 36.927"
7	7	7	23° 37' 08.201"	70° 37' 28.392"
8	8	8	23° 33' 02.768"	70° 31' 23.946"
9	9	9	23° 39' 55.071"	70° 28' 13.567"
10	10	10	23° 29' 29.966"	70° 23' 36.004"
11	11	11	23° 30' 30.082"	70° 16' 11.608"
12	12	12	23° 22' 01.443"	70° 14' 51.539"
13	13	13	23° 23' 04.691"	70° 10' 21.570"
14	14	14	23° 22' 27.069"	70° 02' 10.721"
15	15	15	23° 22' 12.539"	69° 55' 43.364"
16	16	16	23° 26' 30.821"	69° 53' 25.018"
17	17	17	23° 24' 34.254"	69° 48' 06.173"
18	18	18	23° 34' 06.351"	69° 52' 00.396"
19	19	19	23° 37' 05.781"	69° 47' 45.000"
20	20	20	23° 42' 49.892"	69° 49' 11.409"
21	21	21	23° 44' 18.690"	69° 53' 39.636"
22	22	22	23° 47' 22.706"	69° 55' 29.463"
23	23	23	23° 52' 10.169"	69° 54' 23.910"
24	24	24	23° 56' 09.517"	69° 45' 06.256"
25	25	25	23° 58' 23.978"	69° 44' 22.339"
26	26	26	23° 58' 52.656"	69° 46' 48.230"
27	27	27	23° 52' 22.119"	69° 50' 45.302"
28	28	28	24° 08' 51.812"	69° 45' 56.372"
29	29	29	24° 09' 10.209"	70° 23' 57.735"
30	30	30	24° 07' 30.400"	70° 52' 09.580"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE WITH AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KACHCHH DESERT WILDLIFE SANCTUARYALONG WITH GEO-COORDINATES

S No	Village Name	Type of Village*	Tehsil/ Taluka	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	Amrapar-II	Revenue	Anjar	23°22'43.37"	70°08' 22.71"
2	Devisar	Revenue	Anjar	23°21'05.24"	70°06' 14.26"
3	Dhamadka	Revenue	Anjar	23°21'10.38"	70°09' 26.40"
4	Amarapar	Revenue	Bhachau	23°22'43.37"	70°08' 22.71"
5	Bambhanka	Revenue	Bhachau	23°48'39.24"	70°20' 02.66"
6	Bandhadi	Revenue	Bhachau	23°23'27.04"	70°19' 05.04"
7	Baniari	Revenue	Bhachau	23°23'41.66"	70°10' 30.95"
8	Bapuari	Revenue	Bhachau	23°50'27.56"	70°20' 20.26"
9	Bharudia	Revenue	Bhachau	23°33'39.89"	70°24' 57.44"
10	Chobari	Revenue	Bhachau	23°51'45.29"	70°23' 44.34"
11	Dholavira	Revenue	Bhachau	23°52'54.97"	70°12' 50.03"
12	Gadhada	Revenue	Bhachau	23°54'29.25"	70°23' 43.47"
13	Ganeshpar	Revenue	Bhachau	23°51'44.57"	70°23' 43.96"
14	Janan	Revenue	Bhachau	23°49'49.51"	70°18' 26.71"
15	Kalyanpar	Revenue	Bhachau	23°51'52.22"	70°16' 56.93"
16	Kabrau	Revenue	Bhachau	23°19'26.12"	70°14' 48.36"
17	Kadol	Revenue	Bhachau	23°28'56.62"	70°16' 34.56"
18	Kakarva	Revenue	Bhachau	23°29'34.78"	70°24' 43.23"
19	Kankhoi	Revenue	Bhachau	23°33'29.23"	70°22' 39.42"
20	Kharoda	Revenue	Bhachau	23°52'15.99"	70°14' 48.24"
21	Kumbhardi	Revenue	Bhachau	23°20'18.32"	70°16' 14.04"
22	Manfara	Revenue	Bhachau	23°28'31.23"	70°21' 13.93"
23	Morgar	Revenue	Bhachau	23°20'26.45"	70°12' 23.16"
24	Ratanpar	Revenue	Bhachau	23°53'11.69"	70°21' 14.88"
25	Andhau	Revenue	Bhuj	23°45'31.85"	69°49' 47.29"
26	Berdo	Revenue	Bhuj	23°29'38.61"	69°55' 49.37"
27	Bhojardo	Revenue	Bhuj	23°35'37.23"	69°48' 47.50"
28	DaddharMoti	Revenue	Bhuj	23°42'06.90"	69°52' 17.70"
29	DaddharNani	Revenue	Bhuj	23°41'32.84"	69°48' 00.48"
30	Dhoravar	Revenue	Bhuj	23°50'24.54"	69°50' 31.33"
31	Dhrobana	Revenue	Bhuj	23°56'08.23"	69°45' 09.54"
32	Dinara	Revenue	Bhuj	23°53'14.96"	69°43' 42.96"
33	Fulay	Revenue	Bhuj	23°24'16.47"	69°49' 05.54"
34	GoroDungar	Revenue	Bhuj	23°47'44.19"	69°49' 05.54"
35	Jawaharnagar	Revenue	Bhuj	23°21'46.04"	70°01' 14.05"
36	JunaJuriya	Revenue	Bhuj	23°45'25.31"	69°56' 35.25"
37	Kharod	Revenue	Bhuj	23°26'30.31"	70°03' 38.46"
38	Kunariya (Jam)	Revenue	Bhuj	23°49'40.07"	69°53' 16.88"
39	Kuran	Revenue	Bhuj	23°57'24.27"	69°46' 56.28"
40	Lodai	Revenue	Bhuj	23°23'58.31"	69°53' 11.29"
41	Misariyado	Revenue	Bhuj	23°38'37.03"	69°46' 37.01"
42	Meri	Revenue	Bhuj	23°38'37.03"	69°47' 38.78"
43	Sadhara	Revenue	Bhuj	23°44'39.91"	69°52' 27.96"

44	Udai (Bani)	Revenue	Bhuj	23°35'55.42"	69°51' 14.21"
45	Vagura (Banni)	Revenue	Bhuj	23°44'39.91"	69°52' 27.96"
46	Vatra	Revenue	Bhuj	23°21'52.43"	69°56' 56.36"
47	Anandpar	Revenue	Rapar	23°49'06.88"	70°46' 07.42"
48	Balasar	Revenue	Rapar	23°50'32.41"	70°40' 03.99"
49	Bela	Revenue	Rapar	23°52'28.42"	70°48' 16.72"
50	Jatavada (JilarVand	Revenue	Rapar	23°50'15.02"	70°42' 55.17"
51	Jesda	Revenue	Rapar	23°37'50.32"	70°32' 17.69"
52	LakdaVandh	Revenue	Rapar	23°52'25.65"	70°37' 50.43"
53	Lodrani (Parkara Van)	Revenue	Rapar	23°53'25.65"	70°37' 50.43"
54	Mauvana (Shivagadh)	Revenue	Rapar	23°49'41.95"	70°52' 00.94"
55	Nandasar	Revenue	Rapar	23°36'41.63"	70°38' 11.77"
56	Ramvav	Revenue	Rapar	23°33'02.12"	70°28' 11.09"
57	RavMoti	Revenue	Rapar	23°39'33.71"	70°28' 47.02"
58	Surbavandh	Revenue	Rapar	23°42'47.49"	70°36' 13.42"
59	Suvai	Revenue	Rapar	23°36'52.49"	70°29' 31.78"
60	Trambau	Revenue	Rapar	23°34'53.04"	70°33' 22.32"
61	KhariJatavada	Revenue	Rapar	23°50'14.81"	70°45'3.77"
62	Kalyanpar	Revenue	Rapar	23°36'11.30"	70°40' 25.46"
63	Vanoi	Revenue	Rapar	23°36'48.72"	70°26' 56.08"
64	Vrajvani	Revenue	Rapar	23°48'57.73"	70°47' 33.01"

Annexure –V

Eco-sensitive ZoneMonitoring Committee- Performa of Action Taken Report : -

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.18 11:53:15 +05'30'